क्रमांक-5

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2010 (श्रावण 1, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री आरिफ अकील, सदस्य ने प्रश्नोत्तर सूची के कुछ प्रश्नों के उत्तरों में "जानकारी एकत्रित की जा रही है" अंकित होने पर आसंदी का ध्यानाकर्षित कराया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि सभी प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया गया कि प्रश्नों के उत्तर समय पर आएं तथा जिन प्रश्नों के उत्तरों में "जानकारी एकत्रित की जा रही है", अंकित है और उत्तर पृथकत: संलग्न हैं, उन्हें एक सप्ताह पूर्व देने हेतु शासन द्वारा चिंता की जाए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा व्यवस्था का पालन करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 125 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 130 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267 क के अधीन लंबित सूचनाओं में से निम्नलिखित 14 सूचनाएं, नियम 267-क (2) को शिथिल कर सदन में लेने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान न होना,
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड के आलमपुर में शासकीय महाविद्यालय की दयनीय स्थिति होना,
(3) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की धार के धामनोद-सुदरैल तथा पटलावाद-झामरूढ मार्ग जर्जर होना,
(4) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की पश्चिम मालवा के नयागांव जावरा तथा जावरा लेबड़ में पेड़ों की कटाई होना,
(5) श्री अजय सिंह, सदस्य की भोपाल के गोविन्दपुरा को बायपास से न जोड़ा जाना,
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में नाईट्रावेट गोली खाने से अपराध बढ़ना,
(7) श्रीमती मीरा दीपक यादव, सदस्य की निमाड़ी विधान सभा क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण किया जाना,
(8) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की विंध्यक्षेत्र के विकास की राशि लैप्स होना,
(9) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम कुमरड खरिया में हाई स्कूल खोला जाना,
(10) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की पुष्पराजगढ़ के ग्राम किरगी में स्ट्रीट लाईट एवं जल निकासी की व्यवस्था करना,
(11) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर की मगरी नगर पंचायत में 30 बिस्तर अस्पताल स्वीकृत किया जाना,
(12) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की ब्यावरा तहसील के कुछ किसानों पर विद्युत चोरी के फर्जी प्रकरण बनाना,
(13) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की इन्दौर के ऐरोड्रम रोड के मोहता बाग में बहुमंजिला भवन का अवैध निर्माण होना तथा
(14) श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य की मुरैना में नैनागढ़ की सड़क खुदी पड़े रहने से यातायात की समस्या होना,

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3)(ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2005-2006 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2006 के लिये पटल पर रखे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड नगर पालिका द्वारा पेंशन की राशि हितग्राहियों के खाते में न डाले जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया की नीति न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी ध्यानाकर्षण सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने प्रदेश के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों को पात्रता परीक्षा पास होने के बाद भी संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण ने धार जिले के पीथमपुर स्थित रामकी इन्वायर कम्पनी द्वारा कचरा जलाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक (4) पर चर्चा के दौरान भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र तथा केन्द्र सरकार के साथ तत्संबंधी संव्यवहार विषयक प्रश्न पूछने पर श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपत्ति व्यक्त की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि प्रस्तुत ध्यानाकर्षण का संबंध केवल पीथमपुर स्थित कंपनी द्वारा कचरा जलाये जाने से संबंधित है। अतः श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य को ध्यानाकर्षण की विषय वस्तु के अतिरिक्त प्रश्नों हेतु अनुमति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सभापति ने प्राक्कलन समिति का द्वितीय.प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य ने रतलाम जिले के -

(क) तहसील जावरा के वार्ड नम्बर 15 में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(ख) तहसील जावरा के वार्ड नम्बर 15 में ध्यान मंदिर रोड पर हैण्डपंप खनन किये जाने,

(ग) तहसील जावरा के ग्राम-भुतेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) तहसील जावरा के ग्राम गोन्दी धरमसिंह स्थित नई आबादी में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने, तथा

(ङ) तहसील जावरा के ग्राम-भुतेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने खण्डवा जिले के -

(क) जिले में डेम बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम जावर, खेड़ीमित्रा, सुरगांव आदि ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़े जाने,

(ग) ग्राम-रोहणी,लोहारी सतवाड़ा आदि ग्रामों की शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(घ) जिले में ओवर ब्रिज व नवीन बस स्टैण्ड निर्माण किये जाने, तथा

(ङ) ग्राम-कोरगल, बमनगांव, अमलपुरा आदि ग्रामों की शासकीय हाई स्कूलों को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के -

(क) तहसील-विजयराघवगढ़ के ग्राम करौंदीखुर्द (बड़वारा) के वार्ड नम्बर 10 व 11 में सी.सी. रोड़ तथा नाली निर्माण किये जाने,

(ख) तहसील-विजयराघवगढ के ग्राम करोंदी खुर्द (जनपद पंचायत-बड़वारा) के ग्राम-उबरा में नलकूप खनन किये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत-करौंदीखुर्द के दरवाजा मोहल्ले में नलकूप खनन किये जाने,

(घ) ग्राम पंचायत कुंदरेही के मुख्य मार्ग से हाट बाजार तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण किये जाने,

(ङ) तहसील विजयराघवगढ़ के ग्राम पढ़खुरी के वार्ड नं. 4 व 5 में सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम पंचायत-बिचपुरा के ददरा टोला में नवीन नलकूप खनन किये जाने,

(छ) ग्राम-पंचायत बिचपुरा के वार्ड नम्बर 7 व 8 में सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने,

(ज) ग्राम पंचायत कन्नौर के मुख्य मार्ग में सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने,

(झ) तहसील-विजयराघवगढ़ के ग्राम देवराकलां के वार्ड नम्बर 13 में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण किये जाने तथा

(ञ) ग्राम पंचायत-करौंदीखुर्द के दरवाजा मोहल्ले में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2010 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में (डॉ. गोविन्द सिंह, की अनुपस्थिति के कारण) निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (भाषण अपूर्ण)

(12.56 बजे से 2.39 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

10. अशासकीय संकल्प

(1) श्री के.पी.सिंह "कक्काजू" सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा कराया जावे ".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

(3) श्री पारस दादा सकलेचा
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी
(5) श्री बृजराज सिंह चौहान
(6) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(7) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनकी संख्या के अनुपात में भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय हेतु आवंटन दिया जाये ".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(3) श्री विश्वास सारंग

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(3) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तुत नहीं किया गया :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि महाकाल नगरी उज्जैन से काशी विश्वनाथ जाने हेतु वाराणसी के लिये व्हाया भोपाल ट्रेन चलाई जावे ".

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल रेल्वे स्टेशन से गुजरने वाली विशेष कर दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ और रायपुर की ओर जाने वाली समस्त रेल गाड़ियों में विधायकों को यात्रा करने के लिये वातानुकूलित एवं गैरवातानुकूलित बोगियों के कोच में 10-10 सीटों का कोटा आवंटित किया जाये ".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री लक्ष्मण तिवारी
(3) श्री विश्वास सारंग
(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री गृह ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(5) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों में लिये जा रहे मंडी टैक्स से बनाई गई किसान सड़क निधि के स्थान पर बिजली निधि बनाई जावे ".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. कल्पना परूलेकर
(2) श्री श्रीकांत दुबे
(3) श्री लक्ष्मण तिवारी

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(5) श्री रामलखन सिंह
(6) श्री विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा "विज्जु बना"
(7) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(8) श्री मदन कुशवाह
(9) श्री राजकुमार उरमलिया
(10) राव देशराज सिंह यादव

11. सदन के समय में वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से अशासकीय संकल्प क्रमांक 5 पर कार्यवाही पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की गई।

12. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

(11) श्री बृजराज सिंह चौहान
(12) श्री मनीराम धाकड़
(13) श्री परसराम मुद्गल
(14) श्री अजय यादव

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री एवं डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

डॉ. कल्पना परूलेकर, श्री आरिफ अकील आदि सदस्यगण द्वारा अशासकीय संकल्प को पारित करने के पूर्व मत विभाजन की मांग की गई।

संकल्प को पारित करने के पक्ष में 38 मत तथा विपक्ष में 51 मत प्राप्त हुए।

मत विभाजन से संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.42 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2010 (श्रावण 4, 1932) के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 जुलाई, 2010